

न्यायालय-तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैतूल (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी: अमन मलिक)

व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक-184ए / 2017

संस्थित दिनांक-30.08.2017

फाईलिंग नंबर-785 / 2017

1. हरीप्रसाद पिता श्री रमदू राठौर,
उम्र-55 वर्ष, जाति-तेली,
 2. राजकुमार पिता श्री रमदू राठौर,
उम्र-45 वर्ष, जाति-तेली,
 3. मुकेश पिता श्री रमदू राठौर,
उम्र-40 वर्ष, जाति-तेली,
 4. देवेन्द्र पिता शिवप्रसाद राठौर,
उम्र-30 वर्ष, जाति-तेली,
 5. सुशीला पिता रमदू राठौर,
उम्र-48 वर्ष, जाति-तेली,
क्रमांक 1 से 5 निवासी-रानीपुर,
तहसील घोडाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.)
 6. श्रीमती प्रेमा पति गंगाराम राठौर,
उम्र-42 वर्ष, जाति-तेली,
निवासी-सिवनीमालवा, जिला-होशंगाबाद
 7. श्रीमति कांति पति सुगन, उम्र-65 वर्ष,
जाति-तेली, निवासी-भौरा, तहसील-शाहपुर
जिला बैतूल (म.प्र.)
 8. श्रीमती मीराबाई पति श्यामलाल राठौर,
उम्र-35 वर्ष, जाति-तेली,
निवासी-नसरुल्लागंज, तहसील व जिला सिहोर
 9. विमला पति मोहनलाल राठौर, उम्र-38 वर्ष
जाति-तेली, निवासी-भोपाल, तहसील व जिला भोपाल
-आवेदकगण / वादीगण ।

विरुद्ध

1. जुगलकिशोर पिता श्री कृपाराम राठौर, उम्र-70 वर्ष,
जाति-तेली, निवासी-रानीपुर, तहसील घोडाडोंगरी,
जिला-बैतूल (म.प्र.)
2. रमेश राठौर पिता श्री जुगलकिशोर राठौर, उम्र-40 वर्ष,
जाति-तेली, निवासी-रानीपुर, तहसील घोडाडोंगरी

जिला बैतूल (म.प्र.)

3. म.प्र. शासन,
द्वारा—कलेक्टर बैतूल,
तह.जिला बैतूल(म.प्र.)।

.....अनावेदकगण/प्रतिवादीगण।

वादीगण द्वारा श्री संजय कुरवाड़े अधिवक्ता।
प्रतिवादी कं. 1,2 द्वारा श्री व्ही.के.बड़ोनिया अधिवक्ता।
प्रतिवादी क. 3 पूर्व से एकपक्षीय।

आदेश

(आज दिनांक—12.09.17 को पारित किया गया)

1. इस आदेश द्वारा वादीगण के आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. (अस्थाई निषेधाज्ञा) (आई.ए.नं.—1) का निराकरण किया जा रहा है।
2. आवेदकगण/वादीगण ने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि आवेदकगण मौजा ग्राम रानीपुर तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल में स्थित भूमि खसरा नंबर 312 रकबा 0.024 हेक्टेयर भूमि (वादग्रस्त भूमि) के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है जिस पर मकान से लगाकर प्रतिवादी/अनावेदक जुगलकिशोर के पुराने मकान के सामने उत्तर दिशा में पक्का मकान निर्माण हेतु दीवाल का निर्माण किया जा रहा है एवं उनकी भूमि पर नींव खोदकर कॉलम खड़े किये जा रहे हैं जिसके संबंध में उनके द्वारा तहसीलदार के समक्ष दिनांक—29.05.17 को आवेदक क्रमांक 1 को निर्माण कार्य रोके जाने हेतु आवेदन पेश किया था। तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण का अवैध निर्माण आवेदकगण की भूमि पर पाया गया था जिसकी जाँच रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण की भूमि के $15 \times 100 = 1500$ वर्ग फुट भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कार्य किया जा रहा है किंतु अनावेदकगण के राजनीतिक संबंध होने के कारण तहसीलदार के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है और कार्यवाही अनुपस्थिति में समाप्त की गयी है। अनावेदकगण द्वारा भूमि पर अतिशीघ्र पक्का निर्माण कार्य किया जा रहा है जिससे आवेदकगण का वाद प्रस्तुत करने हेतु औचित्य समाप्त हो जायेगा। आवेदकगण का वाद प्रथम दृष्ट्या ही सुदृढ़ है एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी आवेदकगण के पक्ष में है। अतः आवेदकगण के पक्ष में तथा अनावेदकगण के विरुद्ध इस आशय का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया गया कि अनावेदकगण को उनके वादग्रस्त भूमि पर किये जा रहे पक्के निर्माण को प्रकरण के अंतिम

निराकरण तक रोका जाये।

3. अनावेदकगण/प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदकगण द्वारा अपनी भूमि खसरा नंबर 313 की भूमि पर निर्मित कच्चे कोठे को तोड़कर निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा उनके द्वारा त्रुटिवश आवेदकगण की भूमि पर एक कॉलम खोद लिया था जो राजस्व अधिकारी द्वारा आवेदकगण एवं अनावेदकगण की भूमि नापकर बताये जाने पर पंचों के समक्ष तोड़ दिया है तथा उनके द्वारा अपनी स्वयं की भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। यदि अनावेदकगण को मकान का शेष कार्य करने से रोका जाता है तो वर्तमान वर्षाकाल को दृष्टिगत रखते हुये अनावेदकगण को अपूर्णीय क्षति एवं आर्थिक नुकसान होगा। सुविधा का संतुलन अनावेदकगण के पक्ष में है। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

4. अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का निराकरण करने हेतु न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु की विरचना की जा रही है:-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या प्रकरण आवेदकगण के पक्ष में है।
2. क्या अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत आवेदकगण के पक्ष में है।
3. क्या सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है।

—:प्रथम दृष्ट्या प्रकरण:—

5. अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये आवेदक का प्रथम दृष्ट्या मामला ऐसा स्थापित होना चाहिए जिसमें जांच के लिए एक विचारणीय प्रश्न निहित हो जो साक्ष्य लेकर ही तय हो सकता है और उसमें आवेदकगण के विजयी होने की प्रबल संभावना हो।

6. आवेदक ने अपने पक्ष समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेज विवादित स्थल की मूल फोटोग्राफ, हरिप्रसाद द्वारा न्यायालय तहसीलदार घोड़ाडोंगरी को दिया गया आवेदन दिनांक-29.05.17, न्यायालय तहसीलदार घोड़ाडोंगरी में दिया गया शपथपत्र दिनांक-29.05.17, जुगलकिशोर द्वारा दिया जवाब दि.12.06.17, न्यायालय तहसीलदार घोड़ाडोंगरी की आदेश पत्रिका 3 पृष्ठ में दिनांक-29.05.17 से दिनांक-08.07.17 तक, न्यायालय तहसीलदार घोड़ाडोंगरी द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक-09.08.17, हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार को दिया प्रतिवेदन, राजस्व निरीक्षक घोड़ाडोंगरी द्वारा तहसीलदार को दिया स्थल जाँच का प्रतिवेदन दि.06.07.17, स्थल पंचनामा, पंचनामा दिनांक-03.07.17, किश्तबंदी वर्ष 1916-17 दि.03.07.17, खसरा वर्ष 1916-17, विवादित भूमि का नक्शा वर्ष 16-17, विवादित भूमि की

ऋणपुस्तिका की सत्यप्रति पेश की गयी है।

7. अनावेदक क्रमांक 2 रमेश ने अपने पक्ष समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेज रा.प्र.क्र.-20अ/70 वर्ष 2016-17 की आदेश पत्रिका दिनांक-29.05.17 से दिनांक-13.07.17 की सत्यप्रति, हरिप्रसाद का तहसीलदार को दिया आवेदन एवं शपथपत्र, प्रतिवेदन दिनांक-08.06.17, स्थल पंचनामा दिनांक-06.06.17, तहसील घोड़ाडोंगरी का जॉच प्रतिवेदन आवेदन, स्थल पंचनामा, पंचनामा दिनांक-03.07.17, रिपोर्ट प्रस्तुती का आवेदन, फोटो की सत्यप्रति पेश की है।

8. आवेदकगण द्वारा यह प्रकट किया गया है कि अनावेदकगण द्वारा उनके स्वामित्व के वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसके विरुद्ध उन्होंने तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें अनावेदकगण का अतिक्रमण पाया गया था तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक-09.07.17 को आदेश पारित कर स्थगन आदेश दिया गया था। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत स्थल पंचनामा, जॉच प्रतिवेदन, पंचनामा एवं तहसीलदार घोड़ाडोंगरी का स्थगन आदेश दिनांक-09.06.2017 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अनावेदकगण का आवेदकगण की भूमि पर अवैध पक्का निर्माण पाया था जिसके संबंध में अनावेदकगण को आगामी आदेश तक निर्माण कार्य करने हेतु प्रतिबंधित किया गया था। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार की आदेश पत्रिका दिनांकित-23.07.17 के अनुसार पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी थी जिसके अनुसार दिनांक-22.06.17 को दल गठित कर कॉलम तोड़ दिया गया था, जिस कारण तहसीलदार द्वारा प्रकरण समाप्त कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में यह दर्शित है कि अनावेदकगण का जो अतिक्रमण तहसीलदार द्वारा पाया गया था, उस संबंध में अतिक्रमण हटाकर कार्यवाही की जा चुकी है।

9. अनावेदकगण द्वारा यह भी प्रकट किया गया है कि उनके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि पर ही निर्माण कार्य किया जा रहा है जबकि आवेदकगण द्वारा प्रकट किया गया है कि अनावेदकगण उनकी भूमि पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। जहाँ तक तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण पाया गया था, उस संबंध में कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। आवेदकगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह दर्शित हो सके कि अनावेदकगण द्वारा पुनः उनके स्वामित्व की भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह साक्ष्य का विषय है कि वर्तमान में अनावेदकगण द्वारा स्वयं की अथवा आवेदकगण की भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

10. उपरोक्त परिस्थितियों एवं अभिलेख पर विद्यमान दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया प्रकरण आवेदकगण के पक्ष में दर्शित नहीं होता है। अतः आवेदकगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद नहीं माना जा सकता।

अपूर्णय क्षति का सिद्धांत:-

11. कोई क्षति अपूर्णय तब कही जाती है जब धन के माध्यम से उसका पर्याप्त प्रतिकर न दिलाया जा सकता हो अथवा जहां नुकसान को मापने के कोई निश्चित मानक न हों। अनावेदकगण द्वारा यह प्रकट किया गया है कि उनका निर्माण कार्य स्लैब की उंचाई तक पहुँच गया है। अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत फोटो से यह स्पष्ट है कि अनावेदक का निर्माण कार्य काफी उंचाई तक हो गया है। ऐसी स्थिति में इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि यदि अनावेदकगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो उनके निर्माण को क्षति होना एवं मटेरियल का नष्ट होने से उन्हें अपूर्णय क्षति कारित होना संभावित है। अतः अपूर्णय क्षति का सिद्धांत भी आवेदकगण के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलन:-

12. सुविधा के संतुलन के संबंध में नियम यह है कि निषेधाज्ञा जारी किए जाने से विपक्ष को होने वाली असुविधा निषेधाज्ञा जारी न किए जाने पर पक्ष को होने वाली असुविधा की तुलना में अधिक नहीं होगी। हस्तगत प्रकरण में यदि आवेदकगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा दे दी जाती है तो सम्भव है कि अनावेदकगण को उनकी संपत्ति के उपभोग से वंचित होना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि वाद के गुण-दोष पर आवेदकगण अपना पक्ष प्रमाणित करने में सफल रहते हैं तो भी वह वादग्रस्त संपत्ति का आधिपत्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में नहीं है।

13. उपरोक्त परिस्थितियों में जबकि आवेदकगण के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया वाद है, न ही निषेधाज्ञा देने से उसे अपूर्णय क्षति होगी तथा सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में नहीं है, इस प्रकरण में उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत (आई.ए.नं.-1) अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. **निरस्त** किया जाता है।

14. आवेदन पत्र के व्यय संबंधी निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय किया जायेगा।

मेरे द्वारा आज दिनांक को
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(अमन मलिक)

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

बैतूल म0प्र0